

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Central Government.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b> 1. Director, Rural Health Training Centre, -Chairman; 2. Administrative Officer, Rural Health Training Centre -Member; 3. Deputy Director of looking after the Administration work of Rural Health Training Centre, Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/19/2015-MH- II]

RAJ KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

**सा.का.नि.73.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध वाहक और खलासी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में वाहक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, वाहक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .—**वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाहक	95* (पंचानवे) 2021 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण।  (ii) संस्थागत रसोईघर में वाहक के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।  <b>टिप्पण:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/15/2019-एमएच- II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 2021

**G.S.R.73.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the posts of Bearers and Khalasi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bearer, in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Bearer (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bearer	*95 (Ninety Five) 2021 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18- 27 years of age  (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and up to the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10 <sup>th</sup> class pass from a recognised Board. (ii) One year experience in an institutional Kitchen as Bearer. <b>Note:</b> Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director looking after the Administration work of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable.

[F. No.A.11018/15/2019-MHII]

GANESH KUMAR, Under Secy.